DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT **BULLETIN PART-II**

(General information relating to legislative and other matters) Friday, 10th April, 2015/20 Chaitra, 1937 (Saka)

No. 14

Election of two representatives of Delhi Assembly to Court of the University Sub: of Delhi.

Hon'ble members are informed that as per Section 2(1)(xxi) of the Statutes of the University, two members of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi are required to be elected for representation in Court of the University of Delhi in such manner as the Hon'ble Speaker may direct.

For this purpose, the following schedule has been fixed for receiving the nomination, withdrawal of candidature and for holding election, if necessary: -

Last date for filing nominations 15.04.2015 (Wednesday) upto 5.00 PM	Last date for withdrawal	Date of election, if necessary
	17.04.2015 (Friday) upto 5.00 PM	20.04.2015 (Monday) from 03.00 P.M. to 05.00 PM in MLA Lounge No
		1, Old Sectt. Delhi.

L.R. GARG **SECRETARY**

Necessary forms are available with the Notice Office of the Assembly Secretariat. 1.

No Nomination form will be entertained after the stipulated date and time. 2.

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2 विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी शुक्रवार, 10 अप्रैल, 2015/20 चैत्र, 1937 (शक)

संख्या-14

दिल्ली विश्वविद्यालय कोर्ट के लिए दिल्ली विधान सभा के दो प्रतिनिधियों का निर्वाचन

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय कोर्ट के विधान की धारा 2(1)(xxi) के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रतिनिधित्व हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा क सदस्यों में से दो सदस्यों का निर्वाचन माननीय विधान सभा अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट विधि से किया जाना अपेक्षित है।

इस प्रयोजन हेतु नामांकन प्राप्त करने, उम्मीदवारी की वापसी और यदि आवश्यक हो, तो निर्वाचन करने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है:--

नामांकन भरने की अंतिम	नाम वापस लेने की अंतिम तिथि	आवश्यक हो, ता
15 अप्रैल, 2015 (बुधवार) अपराहन 5.00 बजे तक	13	20 अप्रैल, 2015 (सोमवार) अप. 3.00 बजे से 5.00 बजे तक सदस्य लाउंज नं.–1, पुराना सचिवालय, दिल्ली।

एल.आर. गर्ग सचिव

टिप्पणी:

आवश्यक प्रपत्र सूचना कार्यालय में उपलब्ध है।

2. निर्घारित तिथि एवं समय के बाद कोई भी नामांकन प्रपत्र स्वीकार नहीं किए जायेंगे।